राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सोनी / सूरजकरण

तारीख हुक्म	256/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुख्य रूप से इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी ख. न. 24 25 व 37/1 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम अचानचुम्या, पटवार हल्का बेगस में स्थित है जो कि वादी एवं प्रतिवादी की सयुक्त खाते की आराजीयात है जिसके 1/4 भाग का वादी एवं शेष रकबे का प्रतिवादी संख्या 1,3 व 4 रिकार्डेड काबिज खातेदार है। वाद में आगे अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने 1/4 हिस्से में से 1/2 भाग की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 लादू को विक्रय कर दी तत्तपश्चात प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ साज कर वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करना प्रारम्भ कर दिया, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को प्रश्नगत आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन कराने का कहा किन्तु उनके मना करने पर एवं वादी को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर उतारू होने पर वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसमे प्रतिवादीगण की और से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 19/05/2017 को प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसील से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात कुर्रेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण की और से आपत्ति प्रस्तुत हुई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुना जाकर वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24/02/2020 पारित कर दी गयी। जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण की और से एवं मुख्य रूप से अपीलार्थी संख्या 1 सोनी पत्नि रामकरण जाट निवासी ग्राम बड़ी का खोड़ा, बगरू, तहसील सांगानेर के द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में चूँकि इस न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है जिसका कारण अपील में मुख्य रूप से यही अंकित किया गया है कि कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने की वजह से अपील समयावधि में प्रस्तुत नही की जा सकी, अतः प्रस्तुत किये जाने अपील के विलम्ब को उचित कारणों से बाद दिया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जाना शुमार किये जाने का निवेदन किया गया। इस सन्दर्भ में अपील में अंकित विभिन्न तारीखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अवधि वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण न्यायालयों में कार्य स्थगित रहने	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

से विलम्ब की अवधि को बाद दिये जाने का कारण उचित प्रतीत होता है | अत: विलम्ब से प्रस्तुतिकरण की अवधि को अनदेखा करते हुये अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार किया जाता है |

अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि दिनांक 24/07/2003 को सोनी देवी पत्नि रामकरण अर्थात अपीलार्थी संख्या 1 ने भूमि वादग्रस्त में रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लक्ष्मण का हिस्सा 1/16 व प्रतिवादी संख्या 4 भोलू का 1/16 हिस्सा अर्थात वादग्रस्त आराजी में से हिस्सा 1/4 बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया एवं दौ बोरिंग उसमे स्थापित किये किन्तु तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट स्वयं तैयार न कर नायब तहसीलदार से तैयार करवा कर उक्त दोनों बोरिंग जो अपीलार्थी संख्या 1 के हिस्से में स्थापित थे को कुर्रेजात रिपोर्ट में रेस्पो. संख्या 1 के हिस्से में अंकित कर दिया | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की और से कुर्रेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर गौर नही करते हुये तहसील से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार ही वाद डिक्री कर दिया गया जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन के निर्धारित नियमो के विरुद्द है, अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जावे | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि यह सुस्थापित व्यवस्था है कि जब तकासमें का वाद प्रस्तुत हो तो समस्त पक्षकारान के सन्दर्भ में उनके हिस्से का निर्धारण किया जाकर वाद में अन्तिम डिक्री पारित की जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादी के हिस्से का निर्धारण करते हुये प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का ईकजाई हिस्सा दर्शाने में निर्धारित प्रक्रिया की अवेहलना करते हुये अन्तिम डिक्री गलत रूप से पारित की गयी है जिसे निरस्त फरमाया जावे |

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस में निवेदन किया किं प्रतिवादीगण में से कुछ प्रतिवादीगण जैसे रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 1, लक्ष्मण प्रतिवादी संख्या 3 व भोलू प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने हिस्से का बैचान अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 24/07/2003 को किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि तकासमें के वाद के लम्बित रहते हुये उक्त बैचान किया गया है जिसमे विशिष्ट भू-भाग का बैचान किया जाना कतई ही निषेध है, अत: क्रेता/अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा किसी विशिष्ट भू-भाग पर काबिज होना एवं उस पर निर्मित बोरिंग आदि का उसी के हक़ में कुर्रेजात रिपोर्ट में दिये दिये जाने का क्लेम करना नियम विरुद्द है | माननीय राजस्व मण्डल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोनी / सूरजकरण

तारीख हुक्म	256/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा निर्धारित तकासमों के नियमो के तहत मौके पर उपलब्ध आराजीयात में से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर प्रत्येक पक्षकार को विभाजन में आराजीयात प्राप्त होती है इसलिये अपीलार्थी/क्रेता का प्रश्नगत आराजी में स्थित बोरिंगो पर स्वयं का आधिपत्य जाहिर करना कतई मान्य नही हो सकता | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत कुर्रेजात के सन्दर्भ में आपत्तियों पर सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है | अभिभाषक रेस्पो. ने आगे जवाब बहस में हमारा ध्यान वाद के उनवान की और आकर्षित कर निवेदन किया कि वादी सूरजकरण, कल्याण का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 नारायण के पुत्र है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी में वादी का एक पृथक हिस्सा होना था एवं प्रतिवादीगण का एक पृथक हिस्सा कायम होना था | इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पो. ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वाद को ख़ारिज किये जाने का निवेदन किया है उनके द्वारा जवाब वाद के माध्यम से यह कही नही चाहा गया है कि प्रश्नगत आराजी में से प्रत्येक प्रतिवादीगण के हिस्से भी अलग-अलग स्थापित किये जावे | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया है उसमे पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया है जिसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | यद्दपि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुये किसी बैचान पत्र को प्रस्तुत नही किया गया है किन्तु चूँकि प्रस्तुत अपील के पैरा संख्या "स" में सन्दर्भित बैचान दिनांक 24/07/2003 के सन्दर्भ में अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी के अन्य सहखातेदारों द्वारा अपने कुछ हिस्सों का बैचान अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 24/07/2003 को किया गया है | यहाँ यह उल्लेख किया जाना उचित समझा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन तकासमें का वाद दिनांक 26/05/2000 को प्रस्तुत हुआ था, जिसका अन्तिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24/02/2020 को किया गया है जबकी सन्दर्भित बैचान कुछ प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24/07/2003 अर्थात वाद के लम्बित रहते हुये अपीलार्थी संख्या 1 को किया गया है | यह सुस्थापित व्यवस्था है कि बँटवारे के वाद में कोई पक्षकार प्रश्नगत आराजी में अपने हिस्से मात्र का विक्रय किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को कर सकता है किन्तु विवादित आराजी में किसी विशिष्ट भू-भाग का बैचान नही कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनी / सूरजकरण 256/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4

सकता जबकी अपीलार्थी संख्या 1 / क्रेता द्वारा यह तथ्य अपील में दर्ज किया गया है उसने विवादित आराजी में से जो विशिष्ट भू-भाग का क्रय किया है उसमे दौ स्थापित बोरिंग उसके हिस्से में आये जो कुर्रेजात तैयार करते वक्त उसे ही मिलने चाहिये थे, यह तर्क विभाजन के वाद में विभाजन कि प्रक्रिया सम्पूर्ण होने से पूर्व क्रय किये गये हिस्से मात्र के सन्दर्भ में तर्कसंगत नही माने जा सकते |अत: उक्त आपत्ति के परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी प्रतीत नही होती | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब वाद से एवं उसके सन्दर्भ में उनवान वाद के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वाद के वादी प्रश्नगत आराजी का एक हिस्सा धारित करता है एवं शेष 3/4 हिस्सा प्रतिवादीगण जो कि नारायण के पुत्र है धारित करते है जो कि एक यूनिट के समकक्ष होने से उनके द्वारा नारायण के पुत्रो के सन्दर्भ में जवाब वाद में अलग-अलग हिस्सा कायम किये जाने का भी कोई अनुतोष नही चाहा गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर उसके चाहे अनुतोष के अनुसार प्रश्नगत आराजी में जो वादी का प्रतिवादीगण से अलग विभाजन किया गया है, न्यायसंगत प्रतीत होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24/02/2020 यथावत रखी जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 10/2/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)